/ 10.

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भुवनेश्वर

राजभाषा एकक

फा.सं.- 25-2/2012/रा.भा.ए./ दिनांक : 16.06.2017

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की सोलहवीं बैठक का कार्यवृत्त

संस्थान राजभाषा कार्यान्वयन समिति की सोलहवीं बैठक (अवधि : अप्रैल-जून, 2017) माननीय निदेशक प्रो. आर. वी. राजकुमार की अध्यक्षता में समिति कक्ष, तोषाली भवन में दिनांक : 15.06.2017 को अपराह्न 03:30 बजे आयोजित की गई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य शामिल हुए :

1.	प्रो. आर. वी. राजकुमार, माननीय निदेशक	अध्यक्ष
2.	डॉ. डी. गुणसेकरण, कुलसचिव	कार्यकारी अध्यक्ष
3.	प्रो. सुजीत रॉय, संकायाध्यक्ष, सं.एवं नि.	सदस्य
4.	प्रो. आर.वी. पेदिरेड्डी, अधिष्ठाता, छात्र कार्य	सदस
5.	श्री देबराज रथ, संयुक्त कुलसचिव	सदस्य
6.	डॉ. विभूति भूषण साहू, उप पुस्तकालयाध्यक्ष	सदस्य
7.	डॉ. एस. एन. राउतराय, सहायक कुलसचिव (स्था.)	संयोजक
8.	डॉ. राज कुमार सिंह, प्राध्यापक प्रभारी, राजभाषा एकक	सह संयोजक
9.	श्री ओम प्रकाश झा, कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक	सदस्य-सचिव
10.	श्री यमुना प्रसाद, कनिष्ठ अधीक्षक	विशेष आमंत्रण

बैठक की कार्रवाई प्रारंभ करते हुए सर्वप्रथम माननीय अध्यक्ष महोदय ने नए पुनर्गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्यों के साथ-साथ संस्थान में नव नियुक्त कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक श्री ओम प्रकाश झा का स्वागत किया, जिसके पश्चात, अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सदस्य-सचिव ने प्राध्यापक प्रभारी के सहयोग से कार्यसूची की मदों पर बिन्दुवार चर्चा प्रारंभ की ।

मद सं. 16.1 गत बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि : दिनांक 27 फरवरी, 2017 को आयोजित संस्थान राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 15वीं बैठक के कार्यवृत्त को समिति के सदस्यों ने सर्वसम्मति से पुष्टि प्रदान की।

मद सं. 16.2 गत बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई : पिछले बैठक में लिए गए निर्णयों पर कृत कार्रवाई से समिति को निम्न प्रकार अवगत कराया गया :

मद सं.- 15.2. राकास की बैठक न हो पाना : किसी कारणवश गत वर्ष अक्तूबर-दिसंबर, 2016 की त्रैमासिक के लिए राकास की बैठक आयोजित नहीं हो सकी, आगे से ऐसा न हो इसका राजभाषा एकक द्वारा विशेष ध्यान रखा जाएगा।

मद सं.15.3. कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक की भर्ती : संस्थान में रिक्त पड़े कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक पद को भर लिया गया है और श्री ओम प्रकाश झा ने दिनांक 16 मई, 2017 को कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

मद सं. 15.4. धारा 3 (3) के अंतर्गत सभी प्रकार के दस्तावेज को द्विभाषी रूप में जारी करना : इस हेतु जांच बिन्दुओं पर बैठे सभी अधिकारियों से समुचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

मद सं. 15.5. हिन्दी पत्राचार की स्थिति : सभी अनुभागों से हिन्दी में पत्राचार की संख्या बढ़ाने का अनुरोध किया गया है।

मद सं. 15.6. फाइलों पर टिप्पणी : बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार हिन्दी प्रशिक्षित कर्मचारियों से आग्रह किया गया है कि उनके द्वारा फाइलों पर लिखी जाने वाली टिप्पणी यथासंभव हिन्दी में हो।

मद सं. 15.7. नराकास का हस्तांतरण : निर्णय हुआ कि नराकास अभी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के पास ही रहेगा और उसकी अगली (61वीं) बैठक अरगुल परिसर में माह अगस्त में कराई जाए।

मद सं. 16.3 संसदीय राजभाषा समिति की 9वीं रिपोर्ट की संस्तुति पर माननीय राष्ट्रपति के आदेश पर विमर्श : समिति ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि इस संस्तुति में जो भी मद संस्थान से संबंधित है उस पर माननीय राष्ट्रपति की स्वीकृति आदेश के अनुरूप कार्रवाई की जाए। इसी क्रम में इस बात की भी चर्चा हुई कि चूंकि, संस्थान अपने प्रगति पथ पर अग्रसर है और विस्तार के क्रम में इसके कार्मिकों की संख्या दिनोंदिन बढ़ रही है। संस्थान को राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास), भुवनेश्वर का उत्तरदायित्व भी सौंपा गया है। तकनीकी संस्थान होने के बावजूद संस्थान अपने उत्तरदायित्व के निर्वहन में किस कदर सफल है इसका नमूना माह मार्च, 2017 में नराकास की 60वीं बैठक के दौरान देखने को मिला जब सभी सदस्य कार्यालयों ने इसके विभाजन पर आपत्ति जताते हुए सर्वसम्मति से यह निर्णय दिया कि नराकास भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर के पास ही बना रहे। संसदीय राजभाषा समिति की संस्तुतियों के अनुरूप जिस कार्यालय को नराकास की जिम्मेदारी दी जाती है वहां उसके समुचित संचालन हेतु न्यूनतम एक हिन्दी अधिकारी का पद होना आवश्यक है।

समिति ने इस विषय को गंभीरता से लिया और यह निर्णय लिया गया कि संस्थान में सहायक कुलसचिव (राजभाषा)/हिन्दी अधिकारी का एक पद सृजित करवाने का प्रयास किया जाए और यदि किसी कारणवश यह संभव नहीं हो पाता है तो कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक के पद को उन्नयनित (अपग्रेड) कर सहायक कुलसचिव (राजभाषा)/हिन्दी अधिकारी के पद में तब्दील करवा लिया जाए और जबतक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक सहायक कुलसचिव (राजभाषा)/हिन्दी अधिकारी के पद का संपूर्ण दायित्व कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक द्वारा निर्वहन किया जाए।

कार्रवाई : कुलसचिव/संयुक्त कुलसचिव/ कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक

मद सं. 16.4 राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 के लिए निर्धारित वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार लक्ष्य प्राप्ति पर विमर्श : निर्णय लिया गया कि वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रयास किया जाए। खासकर द्विभाषी पत्राचार की संख्या में वृद्धि की जाए और धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी प्रकार के कागजातों को द्विभाषी तौर पर जारी किए जाएं।

इस क्रम में जांच बिन्दुओं पर बैठे सभी अधिकारियों से समिति ने यह अनुरोध किया कि वह हस्ताक्षर करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि वह द्विभीषी तौर पर जारी किया गया है। सभी अधिकारियों से यह अनुरोध भी किया गया कि वे अंग्रेजी के पत्रों में भी हिन्दी में हस्ताक्षर कर राजभाषा हिन्दी के प्रगति में अपना योगदान सुनिश्चित करें।

इस दिशा में यह भी निर्णय लिया गया कि कुछ मानक द्विभाषी शब्दकोशों की खरीदारी की जाए तथा उसे सभी अधिकारियों को दिया जाए ताकि आवश्यकता पड़ने पर वह उसका उपयोग कर सकें। सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से यह भी अनुरोध करने को कहा गया कि वो अपने ई-मेल में हस्ताक्षर द्विभाषीय रूप में करें।

कार्रवाई : सभी अधिकारी एवं कर्मचारी /कुलसचिव/संयुक्त कुलसचिव/उप पुस्तकालयाध्यक्ष/सहायक कुलसचिव

मद सं. 16.5 राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा त्रिभाषी/द्विभाषी बोर्ड, नामपट्ट इत्यादि बनाने संबंधी कार्यालय ज्ञापन पर चर्चा : समिति ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि संस्थान के मुख्य द्वार समेत जहां भी आवश्यक हो वहां त्रिभाषी/द्विभाषी बोर्ड, नामपट्ट लगाए जाएं। इस कार्य को समयबद्ध सीमा के अंतर्गत करने हेतु समिति ने **माह जुलाई 2017 तक** का समय निर्धारित किया और इसके लिए अधीक्षण अभियंता (सिविल) को मुख्य आर्किटेक्ट श्री बंसलजी से विचार विमर्श कर डिजाइन को अंतिम रूप देकर उसपर निदेशक महोदय की सहमति लेने का सुझाव दिया। साथ ही समिति ने यह निर्णय भी लिया कि संस्थान के सभी विद्यापीठ/संकायाध्यक्ष/प्राध्यापक/अधिकारी/कर्मचारी इत्यादि द्वारा प्रयोग किए जाने वाले साइन बोर्ड/नाम पट्ट/रबड़ स्टांप में एकरूपता हो और इसके लिए अधीक्षण अभियंता (सिविल) से अनुरोध किया जाए कि वह एक मानक निर्धारित कर निदेशक महोदय से सहमति लें।

कार्रवाई : कुलसचिव/संयुक्त कुलसचिव/अधीक्षण अभियंता/ मुख्य आर्किटेक्ट/प्राध्यापक प्रभारी,राजभाषा

मद सं. 16.6 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, भुवनेश्वर की वेबसाइट को अद्यतन कर ई-पत्रिका 'नागरिक' के अगले अंक का प्रकाशन : यह निर्णय लिया गया कि नराकास की अगली बैठक जो कि माह अगस्त, 2017 में निर्धारित है उससे पहले नराकास की वेबसाइट को अपडेट कर ई-पत्रिका 'नागरिक' की साफ्ट प्रति तैयार कर ली जाए ताकि नराकास की बैठक में इसका ई-विमोचन करवाया जा सके। इस संबंध में यह भी निर्णय लिया गया कि भुवनेश्वर नगर स्थित जो भी कार्यालय इस बैठक में सहभागिता नहीं करते हैं उन्हें शामिल होने हेतु सदस्य-सचिव की ओर से अनुरोध पत्र लिखा जाए।

इसी चर्चा के दैरान समिति के सामने यह बात भी आई कि नराकास, भुवनेश्वर की वेबसाइट एनआईसी द्वारा बनाई गई थी जिसकी साइबर सिक्योरिकी क्लियरेंस को लेकर बार-बार अनुस्मारक पत्र आ रहे हैं। इस इस बावत यह निर्णय लिया गया कि वेबसाइट सहायक, सुश्री सीमा कौशर के साथ कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक, श्री ओम प्रकाश झा एनआईसी, भुवनेश्वर के कार्यालय में संपर्क कर इसका समाधान करवाएं। यदि आवश्यक हो तो इस कार्य हेतु पीआईसी, राजभाषा और पीआईसी, वेबसाइट से भी सहयोग लिया जा सकता है।

कार्रवाई : वेबसाइट सहायक/सदस्य-सचिव/ प्राध्यापक प्रभारी, वेबसाइट / प्राध्यापक प्रभारी, राजभाषा

मद सं. 16.7 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, भुवनेश्वर स्तर पर एक कार्यशाला का आयोजन कर सभी सदस्य कार्यालयों को राजभाषा प्रगति संबंधी ऑनलाइन त्रैमासिक/वार्षिक रिपोर्ट भरने संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करना : निर्णय लिया गया कि माह अगस्त में होने वाली नराकास की बैठक के दौरान नगर स्तर पर एक कार्यशाला का आयोजन किया जाए जिसमें सभी कार्यालयों में हिन्दी से जुड़े कार्मिकों को उक्त प्रशिक्षण दिया जाए।

कार्रवाई : सदस्य-सचिव

मद सं. 16.8 संस्थान की वेबसाइट को अद्यतन कर 'ई-समाचार' के अगले अंक का प्रकाशन : निर्णय लिया गया कि वेबसाइट के हिन्दी और अंग्रेजी रूप में समानता हो और इसके लिए जो भी सामग्री द्विभाषी तौर पर उपलब्ध कराने की आवश्यकता हो उसे राजभाषा एकक करे। इस संबंध में प्राध्यापक प्रभारी, राजभाषा ने समिति को यह जानकारी दी कि इस दिशा में समुचित कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है और इसका प्रतिफल जल्द ही सामने आएगा। सदस्य सचिव ने जानकारी दी कि संप्रति वेबसाइट का जो हिन्दी रूप है वहां सभी टैग लाइन का हिन्दी रूपांतरण किया जा चुका है। अवधि मार्च-अप्रैल के लिए ई-पत्रिका की सामग्री तैयार कर ली गई है। चर्चा के इसी क्रम में समिति के एक सम्मानित सदस्य ने यह इच्छा प्रकट की कि जिस प्रकार

वेबसाइट में हम रोज आज का शब्द/विचार देते हैं वही अगर सभी कार्मिकों के मेल में भी प्रषित करने की व्यवस्था हो सके तो बेहतर होगा। इस संबंध में वेबसाइट सहायक से मदद ली जा सकती है।

कार्रवाई : सदस्य-सचिव/प्राध्यापक प्रभारी, राजभाषा/वेबसाइट सहायक

मद सं. 16.9 संस्थान स्तर पर एक कार्यशाला आयोजित कर सभी इच्छुक कार्मिकों को कंप्यूटर पर हिन्दी में कार्य करने संबंधी प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना : इस संबंध में यह निर्णय लिया गया कि माह जुलाई में संस्थान स्तर पर एक कार्यशाला का आयोजन किया जाए जिसमें शैक्षिक एवं गैर-शैक्षिक सभी कार्मिकों को आमंत्रित किया जाए। ताकि अधिकाधिक लोग इससे लाभांवित हो सकें।

कार्रवाई : सदस्य-सचिव/प्राध्यापक प्रभारी, राजभाषा

मद सं. 16.10 माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य मद : इस मद के अधीन प्राध्यापक प्रभारी, राजभाषा ने ऑनलाइन वार्षिक हिन्दी प्रगति प्रतिवेदन में मांगी गई जानकारी को भरने में आने वाली कठिनाइयों का जिक्र किया। इस क्रम में नमूना के तौर पर उन्होंने मांगी गई जानकरियों में से एक जानकारी को साझा किया जिसमें संस्थान के कुल अधिकारियों की संख्या का जिक्र था। सर्वसम्मति से यह निर्णय हुआ कि इसमें शैक्षिक कार्मिकों को भी जोड़ा जाए। 31 मार्च, 2017 को समाप्त हो रही वित्त वर्ष के लिए मांगी गई इस जानकारी के अगले भाग के तौर यह जानकारी मांगी गई थी कि इनमें से कितने के पास हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान है और कितने हिन्दी में प्रवीण हैं। इस विषय में अध्यक्ष महोदय ने यह सुझाव दिया कि श्री चंद्रा वाडे, सीआईटीएससी से संपर्क कर एक्सेल सीट में एक प्रश्नावली बनवाई जाए जिसे सभी अधिकारियों/शिक्षकों/कर्मचारियों को मेल के माध्यम से भेज दिया जाए और उनसे समयबद्ध सीमा में इस बावत स्वत: जानकारी उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया जाए, ताकि आगे से ऑनलाइन जानकारी उपलब्ध करवाने में सुविधा हो। इस दौरान वार्षिक हिन्दी प्रगति प्रतिवेदन में मांगी गई सभी सूचानावों एवं आकड़ों पर विंदुवार चर्चा हुई।

कार्रवाई : श्री चंद्रा वाडे, सीआईटीएससी/ सदस्य-सचिव/ प्राध्यापक प्रभारी, राजभाषा

इसके अतिरिक्त किसी भी सदस्य से कोई विचार प्राप्त नहीं हुआ और अंत में डॉ. राज कुमार सिंह, प्राध्यापक प्रभारी, राजभाषा एकक ने बैठक में शामिल होने के लिए सभी सम्मानित सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करते हुए उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया और बैठक की समाप्ति की घोषणा की।

(ओम प्रकाश झा)
कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक एवं
सदस्य सचिव, राकास

देबराज रथ 06.7.17

(देबराज रथ)
कुलसचिव (प्र.) एवं
कार्यकारी अध्यक्ष, राकास